Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 99-2026/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 25 जून, 2026
(4 आषाढ, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 9/संवि/अनु० 309/2026, दिनांक 25 जून, 2026– हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2026।	163—166
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 10/संवि/अनु० 309/2026, दिनांक 25 जून, 2026– हरियाणा विधि तथा विधायी विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2026।	167—170
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जून, 2026

संख्या सा०का०नि० 9/संवि/अनु० 309/2026.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, इसके द्वारा, हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 16 में,–

(i) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) सेवा के सदस्य ऐसे वेतनमानों के लिए हकदार होंगे, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, प्राधिकृत किए जाएं। सेवा के सदस्यों के संबंध में वर्तमान में लागू वेतनमान परिशिष्ट क में दिए गए हैं।"; तथा

(ii) उप–नियम (2) में, प्रथम पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"सीधी भर्ती का प्रारम्भिक वेतन, परिशिष्ट 'क' में यथा वर्णित होगा:"।

3. उक्त नियमों में, नियम 17 में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "परिशिष्ट क" शब्द तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 32 के बाद और अनुसूची से पूर्व, निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परिशिष्ट क

{देखिए नियम 16 (1) और (2)}

क्रम संख्या	जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर	जिला न्यायाधीश (प्रवरण ग्रेड)	जिला न्यायाधीश (अतिकाल वेतनमान)
विद्यमान वेतनमान	51550–63070	57700–70290	70290–76450
विद्यामन प्रवेश वेतन	51550	57700	70290
स्तर	J–5	J–6	J–7
वर्ष 1	144840	163030	199100
वर्ष 2	149190	167920	205070
वर्ष 3	153670	172960	211220
वर्ष 4	158280	178150	217560
वर्ष 5	163030	183490	224100
वर्ष 6	167920	188990	
वर्ष 7	172960	194660	
वर्ष 8	178150	200500	
वर्ष 9	183490	206510	
वर्ष 10	188990	212710	
वर्ष 11	194660	219090	
वर्ष 12			
वर्ष 13			
वर्ष 14			
वर्ष 15			
वर्ष 16			
वर्ष 17			
वर्ष 18			
वर्ष 19			
वर्ष 20			

1. प्रवरण ग्रेड (प्रथम जनवरी, 2020 से) जिला न्यायाधीशों के संवर्ग पदों का 35 प्रतिशत होगा और उन्हें दिया जाएगा जो योग्यता–एवं–ज्येष्ठता के निर्धारण पर संवर्ग में कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा रखते हैं।

2. अतिकाल वेतनमान (प्रथम जनवरी, 2020 से) जिला न्यायाधीशों के संवर्ग पदों का 15 प्रतिशत होगा और उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने योग्यता–एवं–ज्येष्ठता के निर्धारण पर प्रवरण ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की निरंतर सेवा की हो।

टिप्पणः– वार्षिक वेतनवृद्धि की दर तीन प्रतिशत संचयी होगी, अर्थात् तीन प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि की गणना, वेतनवृद्धियों की नियत राशि की बजाय पूर्व वर्ष के मूल वेतन पर की जाएगी।"।

5. उक्त नियमों में, अनुसूची में, अन्त में विद्यामन बिंदु I तथा II का लोप कर दिया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

PERSONNEL DEPARTMENT

Notification

The 25th June, 2026

No. G.S.R.9/Const./Art.309/2026.— In exercise of the powers conferred under article 233 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, in consultation with the High Court of Punjab and Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Superior Judicial Service Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Superior Judicial Service Rules, 2007 (hereinafter called the said rules), in rule 16,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The members of the Service shall be entitled to such scales of pay as may be authorized by the Government from time to time. The scales of pay at present in force in respect of the members of the Service are given in Appendix A."; and

(ii) in sub-rule (2), for the first line, the following line shall be substituted, namely:-

"The initial pay of a direct recruit shall be as mentioned in Appendix A:".

3. In the said rules, in rule 17, for the word "Schedule", the word and letter "Appendix A" shall be substituted.

4. In the said rules, after rule 32 and before the Schedule, the following Appendix shall be inserted, namely:-

"APPENDIX A

[see rule 16 (1) and (2)]

Serial number	District Judges Entry Level	District Judges (Selection Grade)	District Judges (Super Time Scale)
Existing Pay Scale	51550-63070	57700-70290	70290-76450
Existing Entry Pay	51550	57700	70290
Level	J-5	J-6	J-7
Year 1	144840	163030	199100
Year 2	149190	167920	205070
Year 3	153670	172960	211220
Year 4	158280	178150	217560
Year 5	163030	183490	224100
Year 6	167920	188990	
Year 7	172960	194660	
Year 8	178150	200500	
Year 9	183490	206510	
Year 10	188990	212710	
Year 11	194660	219090	
Year 12			
Year 13			
Year 14			
Year 15			
Year 16			
Year 17			
Year 18			
Year 19			
Year 20			

1. Selection Grade (w.e.f. 01.01.2020) shall be 35% of cadre posts of District Judges and will be given to those having not less than five years of continuous service in the cadre on assessment of merit-cum-seniority.

2. Super Time Scale (w.e.f. 01.01.2020) shall be 15% of cadre posts of District Judges and will be given to those who have put in not less than three years of continuous service in Selection Grade on assessment of merit-cum-seniority.

Note:- The annual increment shall be @ 3% cumulative, meaning thereby that the increment @ 3% has to be calculated on the previous year basic pay instead of fixed amount increments.".

5. In the said rules, in the Schedule, the points I and II existing at the end shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

12706—L.R.—H.G.P., Pkl.